न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 12/2018
दायरा तिथि : 19.04.2018
आदेश तिथि : 12-6-2019

प्रार्थी:–
पोमाराम पुत्र वजाराम कौम सीरवी
निवासी गुडालास तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी (प्रभावित खातेदार) :–
चेनाराम पुत्र चमनाराम कौम सीरवी
निवासी गुडालास तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधित नियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012

आदेश

दिनांक : 12-6-2019

प्रार्थी खातेदार द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियम–68 के निर्धारित प्ररूप में प्रस्तुत कर धारित खातेदारी कृषि भूमि मौजा गुडालास के खसरा संख्या 117, 118 कुल रकबा 2.22 हैक्टर किस्म जाव दोयम, चाही दोयम मे आवागमन के लिए अन्य खातेदार चेनाराम पुत्र चमनाराम सीरवी की निवासी गुडालास की खातेदारी भूमि मौजा गुडालास के खसरा नंबर 104, 115, 116, 120 कुल रकबा 4.50 हैक्टर की भूमि मे से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध में नियमो के नियम–69 के तहत तहसीलदार, बाली से मौका निरीक्षण करवाया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त करने के साथ ही प्रभावित खातेदार को आक्षेप प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। इस संबंध मे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक : राजस्व/2019/698 दिनांक 05.04.2019 एवं भू.अ.निरीक्षक मौखमपुरा के द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार : –

1. आवेदक खातेदार श्री पोमाराम पुत्र वजाराम जाति सिरवी निवासी गुडालास तहसील बाली के नाम से ग्राम गुडालास के खसरा नंबर 117 रकबा 1.07 हैक्टर किस्म जा.दो. व चा.दो व खसरा नंबर 118 रकबा 1.15 हैक्टर किस्म चा.दो. व जा.दो. खातेदारी भूमि दर्ज है। तथा आवागमन हेतु पंहुच मार्ग उपलब्ध नही है। वर्तमान मे प्रस्तावित रास्ते अनुसार ही पहुच मार्ग का विकल्प है।
2. प्रस्तावित रास्ते का भू–भाग खसरेवार निम्नानुसार है :–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	101	0.62	चा.दो.,जा.दो.	108X5=540 वर्गमीटर	केसाराम वजाराम जाति सिरवी गुडालास खातेदार
2	116	0.99	चा.दो.,जा.दो.	164X5=820 वर्गमीटर	चेनाराम पुत्र चमनाराम सिरवी निवासी गुडालास खातेदार रहल स्टेट बेंक फालना

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम गुडालास की डी.एल.सी.दर 30800 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नही है। अतः प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पेश कर प्रार्थी को मांग अनुसार नियमानुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री अमृत परिहार ने वकालतनामा पेश कर अप्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 120 तक पहुँच के लिये मार्ग नहीं होने से अप्रार्थी को प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 118 एवं प्रार्थी के भाई की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 119 के उत्तरी माठ से होते हुये खसरा नंबर 120 तक ले जाया जाय तो अप्रार्थी को एतराज नहीं है। इस आपत्ति प्रार्थना पत्र का जबाव प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिया गया। दिनांक 27.05.2019 को दोनों पक्षो के अधिवक्तागणो ने संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा पेश किया गया।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार.02

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 12/2018 अनवान पोमाराम बनाम चेनाराम
अंतर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

जिस राजीनामा में पक्षकारान् द्वारा प्रार्थी पक्ष को रिपोर्ट के अनुसार चाहे गये रास्ता को खसरा नंबर 120 तक ले जाने हेतु दोनो पक्षकारान् सहमत हैं। एवं दोनो पक्षकारान् भूमि की कीमत भी एक दूसरे से प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। प्रस्तावित रास्ते को खसरा नंबर 120, 116, 118, 119 से होते हुए खसरा नंबर 120 तक ले जाने में सहमत तथा उक्तानुसार राशि एक दूसरे से प्राप्त नहीं करने बाबत् सहमत हैं। जो रास्ता 5 मीटर चौडाई में रहेगा। भौतिक तौर पर व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु आदेश दिया जावे।त्र सुना गया। दिनांक 27.05.2019 को वकुलाय द्वारा आपसी सहमति से रास्ता दिये जाने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी पक्ष को रिपोर्ट के अनुसार चाहे गये रास्ता को खसरा नंबर 120 तक ले लाने हेतु दोनो पक्षकारान् सहमत है। एवे दोनो पक्षकारान भूमि की कीमत भी एक से दुसरे से प्राप्त नही करना चाहते है। प्रस्तावित रास्ते के खसरा नंबर 120, 116, 118, 119 से होते हुये 120 तक ले जाने मे सहमत तथा उक्तानुसार राशि एक दुसरे से प्राप्त नही करने बाबत सहमत है। जो रास्ता 5 मीटर चौडाई मे रहेगा। भौतक तौर पर व रेकर्ड में अमल दरामद के इसी अनुसार आदेश जारी कराने बाबत् सहमति व्यक्त की। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। दोनो पक्षो के अधिवक्तागणों ने प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार खसरा नंबर 101, 116, 118, 119 से होते हुये खसरा नंबर 120 की भूमि तक जाने के लिये 5 मीटर चौडाई के रास्ते की मांग की एवं रास्ते का प्रतिकर एक दूसरे से प्राप्त नहीं करने बाबत् सहमति व्यक्त की। चूँकि दोनो पक्षो के अधिवक्ता राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण चाहते हैं। अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि ग्राम गुडालास के खसरा नंबर 118 तक पहुँच के लिये एवं अप्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि ग्राम गुडालास के खसरा नंबर 120 तक पहुँच के लिये दोनों पक्षो द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार खसरा नंबर 101, 116, 118, 119 से होते हुये खसरा नंबर 120 की भूमि तक 5 मीटर चौडा रास्ता पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत लाल रंग से दर्शित नजरी नक्शा अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क)(1)(ख)एवं (ii) एवं नियमो के नियम–69(ii) के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तुत राजीनामा एवं नजरी नक्शा जो लाल रंग से दर्शित है, को आदेश का भाग माना जावे। अधिनियम की धारा 251(क)(2) के तहत स्वीकृत रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बतौर "रास्ता" राजकीय खाते में दर्ज की जावेगी एवं आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार आवेदक को अर्जित नही होगे। तहसीलदार, बाली आदेशानुसार रेकर्ड में अमलदरामद के साथ नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करे। पालना प्रतिवेदन नक्शा एवं खतौनी की प्रति सहित प्रस्तुत की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बाली

पत्रांक : कोर्ट/2019/ 651-655
दिनांक : 12-6-2019

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक मौखमपुरा
3. पटवारी हल्का गुडालास
4. पोमाराम पुत्र वजाराम सीरवी नि. गुडालास/ चेनाराम पुत्र चमनाराम सीरवी नि0 गुडालास को सुचनार्थ।

उप - खण्ड अधिकारी, बाली
बाली

Scanned by CamScanner